

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

अ धि सू च ना

क्रमांक : 15./स्था.प/2014

दिनांक : 15.11.2014

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित परीवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिन्हें कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F.3/2(1)Pers/A-I/2014 दिनांक 13.10.2014 द्वारा उनके नाम के आगे अंकित जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में जो उनके न्यायिक प्रशिक्षण की अवधि में संबंधित जिले के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्तरित किये जायेंगे, संहिता के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की प्रदत्त सभी शक्तियाँ उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से एक वर्ष या उनकी परीवीक्षाधीन अवधि जो भी पूर्व हो प्रदान करता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	Smt. Namrata Vrishni	Jaipur

आज्ञा से,


15.11.2014

(बलदेव राम)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : सामान्य/15/38/75/ 4823 -24

दिनांक : 15.11.14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक F.3/2(1)Pers/A-I/2014 दिनांक 13.10.2014 के सन्दर्भ में।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर/जयपुर जिला।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला।
5. निदेशक, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
6. जिलाधीश, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।


15.11.2014
रजिस्ट्रार (प्रशासन)